## <u>न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 281/2017 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 05.07.2017

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

## बनाम

1—संजीव शर्मा उर्फ संजू पुत्र अनन्तराम जाटव उम्र 32 साल निवासी ग्राम कैरोरा थाना बरासों हाल सीमा जाटव के मकान के किरायेदार सुमेर कॉलोनी वार्ड नं0 17 गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्त

( आरोप अंतर्गत धारा— 504, 506 भाग—2 एवं 324 भा0दं०सं० )

( राज्य द्वारा एडीपीओ- श्रीमती हेमलता आर्य )

( आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री डी०आर० बंसल )

## निर्णय

( आज दिनांक 11-12-2017 को घोषित )

आरोपी पर दिनांक 18.06.17 को 21:30 बजे फरियादिया ममता जाटव के घर सुमेर कॉलोनी गोहद चौराहे में फरियादिया ममता जाटव को अपमानित करने के आशय से गाली गलौच कर प्रकोपित करने, ममता जाटव को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादिया ममता जाटव की धारदार आयुध हंसिये से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने हेतु भा0द0सं की धारा 504, 506 भाग—2, एव 324 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 18.06.17 को फरियादिया ममता जाटव का पित आरोपी संजीव शराब के नशे में घर आया था उसने आरोपी को काम पर जाने के लिए कहा था इसी बात को लेकर आरोपी उसे मां—बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा था जब उसने आरोपी को गाली देने से मना किया था तो आरोपी ने अलमारी में रखा हंसिया उठाकर उसे मारा था जो उसके गले में दाहिनी तरफ लगा था उसके चिल्लाने पर उसकी मां रामबेटी और

भाभी ममता ने उसे बचाया था। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद चौराहा में अप0क0 71/17 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान ६ ाटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी ममता द्वारा आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भावदंवसंव की धारा 504 एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरूद्ध मात्र भावदंवसंव की धारा 324 के अंतर्गत विचारण शेष है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन हुआ हैं:—
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 18.06.17 को 21:30 बजे फरियादिया ममता जाटव के घर सुमेर कॉलोनी गोहद चौराहे में फरियादिया ममता जाटव की धारदार आयुध हंसिये से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादिया ममता जाटव अ0सा01 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

## निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 01

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फिरियादिया ममता जाटव अ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 5—6 महीने पहले की रात के 9—10 बजे की है उसका पित संजीव शराब के नशे में घर आया था तो संजीव से उसका मुंहवाद हो गया था आरोपी ने गाली गलौच कर दी थी अन्य कोई बात नहीं हुई थी। उसने इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहे पर की थी जो प्र0पी—1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामोका प्र0पी—2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामोका प्र0पी—2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घाटना वाले दिन आरोपी ने उसकी मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकारिकया है कि आरोपी ने उसके गले में हंसिया मारा था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकारिकया है कि उसने आरोपी द्वारा मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी—1 एवं पुलिस कथन प्र0पी—3 में पुलिस को लिखाई थी।
- यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादिया ममता जाटव अ०सा०1 द्वारा

आरोपी से राजीनामा कर लिए जाने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा0द0स0 की धारा 504 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा आरोपी के विरुद्ध मात्र भा0द0स0 की धारा 324 के अंतर्गत विचारण शेष है। उक्त संबंध में फरियादिया ममता जाटव अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी से मात्र मुंहवाद होना एवं आरोपी द्वारा गाली गलौच करना बताया है तथा व्यक्त किया है कि अन्य कोई बात नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार कियाहै कि झगडे के दौरान आरोपी ने धारदार आयुध हंसिये से उसकी मारपीट की थी।

- 9. इस प्रकार फरियादिया ममता जाटव अ०सा०1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किय गया है एवं आरोपी द्वारा मारपीट करने के तथ्य से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुतनहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि झगडे के दौरान आरोपी ने फरियादिया ममता जाटव की धारदार आयुध हंसिये से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 10. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
- 11. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 18.06.17 को 21:30 बजे फरियादिया ममता जाटव के घर सुमेर कॉलोनी गोहद चौराहा में फरियादिया ममता जाटव की धारदार आयुध हंसिये से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी संजीव उर्फ संजू को भा0द0स0 की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 12. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
- 13. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे का हंसिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात तोड—तोड कर नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान-गोहद

दिनांक :--11.12.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)